**राज्यों के लिए राशन का प्रावधान**

*157. **प्रो0 रामबख्श सिंह वर्मा** :
**श्रीमती मालती शर्मा** :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्तियों के संबंध में सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए प्रत्येक राज्य को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्तियों के लिए कितनी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई; और

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए खाद्य सामग्री की मात्रा में कितनी वृद्धि की गई?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) और (ख) राज्यों द्वारा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की ओर से गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की गणना की जाती है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चिह्नित किया जा सके और इन परिवारों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल-विकास, ग्रामीण दस्ताकारों को समुन्नत "टूलकिट्स" की आपूर्ति और "मिलियन-वैल्स स्कीम" जैसे विभिन्न स्व-रोजगार कार्यक्रमों के अधीन लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें । नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की गणना का कार्य पूर्ण नही हुआ है ।

(ग) जून, 1997 में प्रारंभ की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि ऐसे खाद्यान्नों को गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को प्रति माह 10 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से जारी किया जा सके । जून,1997 से मार्च, 1998 की अवधि के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं के आबंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे विवरण-। में दिए गए हैं (**नीचे देखिए**)

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 1998-99 के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवंटित चावल और गेहूं का कोटा वर्ष 1997-98 की भांति 10 किलोग्राम प्रति परिवार माह है । वर्ष 1998-99 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए हुआ आबंटन और उठान का ब्यौरा विवरण-॥ में दिया गया है ।

**विवरण-।**

**लाक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जून,97 से मार्च, 98 तक गरीबी रेखा से नीचे आबादी के कोटे का आबंटन और उठान**

(हजार टन में)

| क्रम सं0 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल | | गेंहू | | जोड़ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 1. | आ0 प्रदेश | 348.84 | 326.00 | 3.00 | 282 | 351.84 | 328.82 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 6.94 | 6.40 | 0.67 | 0.00 | 7.61 | 6.40 |
| 3. | असम | 183.57 | 132.74 | 7.02 | 0.00 | 190.53 | 132.74 |
| 4. | बिहार | 343.60 | 146.90 | 515.40 | 382.98 | 859.00 | 529.88 |
| 5. | दिल्ली | 7.20 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 2.60 | 0.16 | 1.20 | 0.00 | 3.80 | 0.16 |
| 7. | गुजरात | 0.00 | 0.96 | 200.00 | 178.59 | 200.00 | 179.55 |

| क्रम सं0 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल | | गेहूं | | जोड़ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 8. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 73.30 | 37.01 | 73.30 | 37.01 |
| 9. | हिमा0 प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 21.77 | 38.93 | 21.77 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 40.19 | 31.40 | 14.47 | 10.59 | 54.66 | 41.99 |
| 11. | कर्नाटक | 230.00 | 229.06 | 57.50 | 57.26 | 287.50 | 286.32 |
| 12. | केरल | 153.50 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 153.50 | 177.16 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 240.00 | 160.98 | 293.40 | 168.83 | 533.40 | 329.81 |
| 14. | महाराष्ट्र | 211.60 | 184.97 | 393.00 | 266.47 | 604.60 | 451.44 |
| 15. | मणिपुर | 12.02 | 6.52 | 0.31 | 0.00 | 12.33 | 6.52 |
| 16. | मेघालय | 12.78 | 10.52 | 1.22 | 1.46 | 14.00 | 11.98 |
| 17. | मिजोरम | 4.66 | 3.47 | 0.05 | 0.05 | 4.70 | 3.52 |
| 18. | नागालैंड | 7.52 | 6.06 | 1.78 | 1.78 | 9.39 | 7.84 |
| 19. | उडीसा | 318.20 | 297.52 | 0.00 | 0.00 | 318.20 | 297.52 |
| 20. | पंजाब | 6.80 | 1.36 | 5.55 | 5.55 | 43.00 | 6.91 |
| 21. | राजस्थान | 2.50 | 0.57 | 214.50 | 108.99 | 217.00 | 109.56 |
| 22. | सिक्किम | 3.36 | 5.61 | 0.04 | 0.00 | 3.40 | 5.61 |
| 23. | तमिलनाडु | 457.90 | 381.28 | 0.00 | 4.87 | 457.90 | 386.15 |
| 24. | त्रिपुरा | 22.92 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 16.40 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 315.00 | 193.66 | 640.00 | 486.44 | 955.00 | 680.10 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 241.96 | 156.69 | 217.00 | 186.68 | 458.96 | 343.37 |
| 27. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समुह | 1.80 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 28. | चण्डीगढ़ | 0.20 | 0.00 | 1.60 | 0.16 | 1.80 | 0.16 |
| 29. | दादरा एवं नगर हवेली | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 0.19 | 1.50 | 0.99 |
| 30. | दमन एवं दीव | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.31 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| | जोड़ | 3183.80 | 2477.55 | 2734.32 | 1922.50 | 5918.11 | 4400.05 |

**विवरण-II**

**लाक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1998-99 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के कोटे का आबंटन और उठान (II आबंटन मार्च,99 तक) और (उठान जनवरी, 99 तक)**

(हजार टन में)

| | | चावल | | गेहूं | | जोड़ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 442.79 | 355.78 | 0.00 | 0.00 | 442.79 | 355.78 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 8.40 | 8.00 | 0.84 | 0.00 | 9.24 | 8.00 |
| 3. | असम | 228.72 | 167.35 | 0.00 | 8.20 | 228.72 | 175.55 |
| 4. | बिहार | 412.32 | 184.36 | 618.48 | 460.87 | 1.30.80 | 645.24 |
| 5. | दिल्ली | 4.32 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 17.76 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 3.02 | 0.49 | 1.44 | 0.00 | 4.56 | 0.49 |
| 7. | गुजरात | 12.00 | 87.12 | 120.00 | 109.99 | 240.00 | 197.11 |
| 8. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 87.96 | 36.19 | 87.96 | 36.19 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 1.76 | 50.89 | 21.53 | 50.89 | 23.29 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 56.41 | 47.00 | 17.75 | 14.80 | 74.16 | 61.80 |
| 11. | कर्नाटक | 276.00 | 229.64 | 69.00 | 57.41 | 345.00 | 287.05 |
| 12. | केरल | 184.20 | 182.15 | 0.00 | 0.00 | 184.20 | 182.15 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 288.00 | 182.17 | 352.08 | 171.71 | 640.08 | 353.88 |
| 14. | महाराष्ट्र | 253.92 | 194.01 | 471.60 | 326.15 | 725.52 | 520.15 |
| 15. | मणिपुर | 15.60 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 11.10 |
| 16. | मेघालय | 17.16 | 11.02 | 0.00 | 0.03 | 17.16 | 11.05 |
| 17. | मिजोरम | 6.36 | 5.05 | 0.00 | 0.62 | 6.36 | 5.67 |
| 18. | नागालैंड | 9.24 | 7.13 | 2.28 | 1.62 | 11.52 | 8.75 |
| 19. | उडीसा | 381.84 | 314.69 | 0.00 | 0.00 | 381.84 | 314.69 |
| 20. | पंजाब | 8.16 | 0.69 | 43.44 | 6.59 | 51.60 | 7.28 |
| 21. | राजस्थान | 3.00 | 1.21 | 257.40 | 115.19 | 260.40 | 116.40 |
| 22. | सिक्किम | 4.08 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 2.72 |
| 23. | तमिलनाडु | 549.48 | 404.18 | 0.00 | 2.27 | 549.48 | 406.44 |
| 24. | त्रिपुरा | 27.72 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | 21.77 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 378.00 | 270.26 | 768.00 | 609.58 | 879.84 | 879.84 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 288.49 | 84.00 | 260.15 | 195.82 | 279.83 | 279.83 |
| 27. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1.50 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | चण्डीगढ़ | 0.24 | 0.02 | 1.92 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 29. | दादरा एवं नगर हवेली | 1.44 | 1.34 | 0.36 | 0.23 | 1.57 | 1.57 |

| क्रम सं0 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल | | गेहूं | | जोड़ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 30. | दमन एवं दीव | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.36 | 0.27 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 |
| | जोड़ | 3978.67 | 2775.14 | 3137.84 | 2138.93 | 7116.51 | 4914.08 |

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वेतनमानों हेतु उच्च स्तरीय समिति**

*158. **श्री शिवू सोरेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बख्शी समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के वरिष्ठ डाक्टरों के नए वेतनमानों के निर्धारण हेतु एक विशेष उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(घ) क्या सरकार "एम्स" के अन्य चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान निर्धारित करने का विचार रखती है; और

(ड) यदि हां, तो कब तक, यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) :** (क) से (ग) सरकार ने के0 के0 बक्शी समिति द्वारा की गई सिफारिशों सहित सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद अपने दिनांक 21 जनवरी, 1999 के आदेशों के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली/सन्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में विभिन्न संकाय पदों के वेतनमानों और भत्तों के संशोधन के लिए अपनी स्वीकृति सूचित की । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय संघ ने वेतनमानों और भत्तों में संशोधन को अस्वीकार कर दिया और वे अपर प्रोफेसर के वेतनमान में संशोधन के साथ के0के0 बक्शी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने की मांग करते हुए 8 फरवरी, 1999 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए । सरकार ने यह मामला मंत्रियों के एक समूह को भेजा । मंत्रियों के समूह ने यह समझते हुए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय संघ की वेतनमान के पुनर्निधारण संबंधी मांगे अन्य सदृश संस्थाओं के प्रति स्पर्धात्मक दावों को देखते हुए व्यवहार्य नही थी, दिनांक 22 फरवरी, 1999 को हुई बैठक में निर्णय किया कि वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सन्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के संकाय के वेतनमानों में ऐसा और सुधार करने की संभावना पर विचार करेंगे जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दावों से बचा जा सकेगा बशर्ते संकाय संघ हड़ताल को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाए ताकि मुददों के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान किया जा सकें । संकाय संघ ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और 25.2.99 को डयूटी पर आ गए है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1999 को सिविल रिट याचिका पर 3.3.99 को घोषित किए गए अपने अंतिम में आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों पर एक अंतिम निर्णय लेने हेतु 30.6.99 तक का समय दिया है ।

(घ) और (ड) संस्थान के गैर-संकाय स्टाफ को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहले ही प्रतिस्थापन (रिप्लेस्मेंट) वेतनमान में दिए गए है ।

**लीबिया से यूरिया का आयात**

*159. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :